



कार्यालय प्राचार्य, जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

क्र. 652/नविदि/2023

बैतूल दिनांक 27/06/2023

महाविद्यालय परिसर में कैंटीन खोलने संबंधी निविदा

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2023-24 में ज.हा.शासकीय महाविद्यालय बैतूल के परिसर में कैंटीन (जलपान गृह) खोलने का निर्णय विश्वबैंक परियोजना एवं नेक मूल्यांकन के काइटेरिया के अनुसार लिया गया है इस हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। कैंटीन खोलने संबंधी नियम निम्नलिखित होंगे -

1. कैंटीन संचालन के लिये GST No. होना अनिवार्य है।
2. खाद्य विभाग से NOC लेना अनिवार्य होगा।
3. महाविद्यालय परिसर में कैंटीन के लिए दो कमरे दिए जायेंगे जिनका किराया प्रतिमाह 2000/- (दो हजार) संचालक द्वारा जमा किया जायेगा।
4. सुरक्षा निधि 5000/- पाँच हजार रु. जमा करवानी अनिवार्य होगी।
5. कैंटीन एरिया की साफ-सफाई एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी संचालक की होगी।
6. कैंटीन एरिया में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिये कैंटीन संचालक निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे।
7. खाद्य पदार्थों का मानक के अनुसार ताजा एवं स्वास्थ्य वर्धक और गुणवत्ता पूर्वक होना अनिवार्य होगा।
8. प्रत्येक खाद्य पदार्थ की रेट लिस्ट लगानी अनिवार्य होगी।
9. संचालन एवं कैंटीन कर्मचारियों को ID Card बनवाना अनिवार्य होगा जिसमें संबंधित की समस्त जानकारियों के साथ प्राचार्य के हस्ताक्षर होंगे।
10. महाविद्यालय केवल कमरे उपलब्ध करायेगा। फर्नीचर एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था संचालक को करनी होगी।
11. असामाजिक तत्वों को प्रवेश वर्जित होगा।
12. कैंटीन का समय प्रातः 07:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक होगा।
13. कैंटीन बंद होने का समय सांय 06:00 बजे तक रहेगा उसके बाद वहाँ किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियां नहीं होगी।
14. बिजली व्यय पृथक से संचालक द्वारा देय होगा।
15. कैंटीन परिसर में मद्यपान एवं मांसाहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
16. कैंटीन परिसर में धूम्रपान / गुटका / पाउच वर्जित रहेगा।

17. बिना सूचना एवं कारण निविदा निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा ।
18. खाद्य सामग्री की तालिका राशि/मात्रा, ग्राम, लीटर / नग सहित -

सामग्री	मात्रा	राशि
चाय	90 ml	
काफी	90 ml	
दूध	190 ml	
समोसा	50 gm	
बड़ा	50 gm	
पोहा	50 gm	
जलेबी एवं अन्य मीठा	50 gm	
कोल्ड्रिंग	200 ml	
डोसा	150 gm	
ढोकले	50 gm	
आलू बड़ा	50 gm	
फल, केला	1 नग	
अन्य, चाकलेट बिस्कुल कुरकूरे चिप्स	1 नग	

19. पैक खाद्य सामग्री MRP Rs. से अधिक पर नहीं बेचे जायेंगे ।
20. कैंटीन (जलपान ग्रह) का अनुबंध 01 वर्ष की अवधि के लिये रहेगा ।

निविदाकर्ता निविदाएं प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल के नाम कार्यालयीन समय के दौरान, स्थान स्वागत कक्ष में अपनी सील बंद निविदा लिफाफे में भरकर समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवसों के भीतर जमा करें । समय सीमा पश्चात् प्राप्त निविदाएं पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे ।



सचिव

जनभीदारी समिति
ज.हा.शास.स्ना.महावि.बैतूल